The MONAD University Uttar Pradesh Act, 2010

Act 23 of 2010

Keyword(s):
Academic Council, Chancellor, Court, Department, Employee, Society, Treasurer, Visitor

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम सं० 306

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 12 अक्टूबर, 2010
आश्विन 20, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1109/79-वि-1–10-1(क)19-2010
लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2010

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पर दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

मोनाड एजूकेशनल सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में;-

(क) ''विद्यापरिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड या योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'' ''कुलपति'' और ''प्रति-कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) ''कोर्ट'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और शोध केन्द्र भी है;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक या कर्मचारी वर्ग का कोई अन्य सदस्य भी है;

(ज) ''कार्य परिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद से है;

(झ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(ञ) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्वानों/छात्रों के छात्रावास से है;

(ट) ''संस्था'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ठ) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ड) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ढ) ''सोसाइटी'' का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोनाड एजूकेशनल सोसाइटी, नई दिल्ली से है;

(ण) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ऐसे परिनियमों और अध्यादेशों से है जो समय-समय पर प्रवृत्त किये जाते हैं;

(त) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में नामांकित किसी छात्र से है;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्यों, सह आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा/शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(द) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियंत्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'', ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(ध) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन मोनाड एजूकेशनल सोसायटी द्वारा स्थापित मोनाड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद से है;

3- (1) उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद में सोसाइटी द्वारा मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय की स्थापना

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

4-सोसाइटी जो प्रायोजक निकाय है इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्,- विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें

(क) विश्वविद्यालय के लिये निश्चित की गयी न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगी जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा;

(ग) उपरोक्त उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर की कार्यालय और प्रयोगशालाओं में स्थापना करेगी;

(घ) विश्वविद्यालय के विभागों/विद्या पीठों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमानों और मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करेगी और संरचना सुविधाओं की स्थापना करेगी;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य व्यवस्था के लिए परिनियम और अध्यादेश बनाएगी, और

(च) ऐसी अन्य शर्तो, जो विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हों, का पालन करेगी।

5-(1) राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी को विश्वविद्यालय की कार्य व्यवस्था आरम्भ करने के लिये प्राधिकार निर्गत किये जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय कार्य प्रारम्भ करेगा। विश्वविद्यालय का प्रारम्भ।

(2) राज्य सरकार, सोसायटी से प्राप्त इस आशय के अभिलेख सहित कि धारा 4 में निदिष्ट समस्त शर्तें पूरी कर ली गयी है। असंदिग्ध शपथ-पत्र की प्राप्ति के पश्चात प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

6 विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित की अभिवृद्धि हेतु आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा:- विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुर्नसंरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और इसी प्रकार के अन्य तरीके भी है, की नवीन पद्धति और उनके व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन; और

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अन्तः क्रिया।

7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थातः- विश्वविद्यालय की शक्तियां

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औषधि, दंत चिकित्सा, प्रबन्धन, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा इतिहास संस्कृति, दर्शन, कला इत्यादि विषयों हेतु भी अपने मुख्य परिसर और समय-समय के लिए घटक केन्द्रों में शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना और वैश्विक व राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न शाखाओं में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालित करना।

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर एमिरेटस के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे किन्हीं डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों या उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, को शिक्षण तथा प्रशिक्षण, जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रम भी हैं, प्रदान करना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे प्रख्यात व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्ति करना उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) भारत या भारत से बाहर किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षण के लिये विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे शैक्षिक केन्द्रों/विभागों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) छात्रों के लिये छात्रावासों की स्थापना, उनका अनुरक्षण एवं पर्यवेक्षण करना, छात्रों के आवास के लिये शर्तें निर्धारित करना और ऐसे छात्रावासों में आवास हेतु शुल्क लगाना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या इकाईयों के साथ ऐसे अनुबन्ध करना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) विश्वविद्यालय के छात्रों/छात्राओं के अनुशासन विनियमन हेतु तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक व निगमित जीवन हेतु नीति निर्धारित करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा या मूल्याकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं और गैर लाभ प्राप्त छात्रों के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उनका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये सोसायटी के पूर्व अनुमोदन से दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये सोसाइटी के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को बन्धक रखकर या आडमान करके धन उधार लेना या ऐसा किये बिना धन उधार लेना;

(ब) अतिथि आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, सलाहकारों, अध्येताओं, विद्वानों कलाविदों, पाठ्यक्रम लेखकों और अन्य ऐसे व्यक्तियों की संविदा एवं अन्य किसी आधार पर नियुक्ति करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान दे सके;

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और मानक

8-(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे;

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि, के दिशा निर्देशों के अनुसार हो;

(3) अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विशिष्ट परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पतावलम्बियों के लिये होगा।

9-विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी या अध्यापक या कर्मचारि वर्ग या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास, व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें:

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश द्वारा विनियमित होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) संस्थाओं के निदेशक/प्राचार्य या प्रधान;

(ङ) कुलसचिव;

(च) कोषाध्यक्ष;

(छ) अध्ययन केन्द्र के संकायाध्यक्ष/कार्यशील संकायाध्यक्ष;

(ज) कुलानुशासक;

(झ) वित्त अधिकारी, और

(ञ) ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

कुलाधिपति

11-(1) कुलाधिपति एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये ऐसी रीति से जैसी विहित की जांय, नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्य परिषद का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति यदि उपस्थित हो, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिये आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलपति

12-(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों व निर्बन्धनों पर की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद और विद्या परिषद का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामलों में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा:

परन्तु यदि सम्बन्धित प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जिसका विनिश्चिय अन्तिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

प्रतिकुलपति

13-(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से यथाविहित रीति से की जायगी और कुलपति या विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा सौंपी गयी ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(2) प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसा और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति ऐसी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसी सोसायटी द्वारा अवधारित की जाए।

संस्था का निदेशक/ प्राचार्य या प्रमुख

14-संस्थान का निदेशक/प्राचार्य या प्रमुख ऐसी रीति से नियुक्त होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जैसी विहित की जाए।

कुलसचिव

15-(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलसंचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद और विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा।

कोषाध्यक्ष

16-कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

अध्ययन केन्द्रों के संकायाध्यक्ष/ कार्यशील संकायाध्यक्ष

17-प्रत्येक संकायाध्यक्ष, जिसमें अध्ययन केन्द्र के संकायाध्यक्ष/छात्र कल्याण या शैक्षिक मामलों या प्रवेश या योजना और बाह्य कार्यक्रमों या औद्योगिक सम्पर्क के कार्यशील संकायाध्यक्ष भी हैं, की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

वित्त अधिकारी

18-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाए;

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा;

अन्य अधिकारी

19-विश्वविद्यालय के कुलानुशासक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियों और कर्तव्यों ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

20-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

(क) कोर्ट;

(ख) कार्य परिषद;

(ग) विद्या परिषद;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) अध्ययन बोर्ड;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति;

(झ) कर्मचारी अनुशासन समिति; और

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाए।

कोर्ट

21-(1) कोर्ट का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाए;

(2) इस अधिनियम के उपवन्धों के अधीन रहते हुये कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होगे, अर्थातः-

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्रीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली उसके सुधार और विकास के लिये अध्युपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिये निर्दिष्ट किये जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसे विहित किये जाये।

कार्य परिषद

22-(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा ;

(2) कार्य परिषद का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाये।

विद्या परिषद

23-(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षिण निकाय होगा और इस अधिनियम और तदधीन वनाये गये परिनियमों और अध्यादेशों के उपवंधों के अर्धान रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी ;

(2) विद्या परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाये।

वित्त समिति

24-(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

नियोजन बोर्ड

25-(1) नियोजन वोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान नियोजन निकाय होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संवंधित परिषदों के मानकों को पूरा करें,

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

अध्ययन बोर्ड और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

26- अध्ययन बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों का गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

27-(1) कार्य परिषद इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम वनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) इस अधिनियम के उपवंधों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते है, अर्थात :-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय-समय पर गठन किया जाए का गठन उनकी शक्तियाँ व कृत्य,

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों को भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपवन्ध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्त्तव्य और उनकी परिलब्धियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द की एक संयुक्त परियोजना की दायित्व देने के लिये एक निश्चित अवधि के लिये नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्यवाहियों का रीति से संबंधित उपबन्ध भी है ;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों को वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ढ) विभागों केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या परिनियम द्वारा विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्यपरिषद ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में कार्य परिषद द्वारा अपनी असमर्थता के विषय में संसूचित कारणों यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् तदनुसार जैसा वह उचित समझे परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

28-इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कार्य परिषद प्रबन्धन समिति की अभिव्यक्त सहमति के पश्चात कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से अध्यादेश बनायेगी और उनमें निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित करना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना, उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिये और विश्वविद्यालय की डिग्री डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिये प्रभार्य शुल्क;

(च) छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्त्तव्य भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें यदि कोई हो और उनके लिये विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, केन्द्रों, विशिष्ट केन्द्रों, और विशिष्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालय और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षिणक जीवन के सुधार के लिये आवश्यक समझी जाए का सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

विनियम

29-प्रबन्ध समिति की अभिव्यक्ति सहमति से कार्यपरिषद के अनुमोदन के अधीन विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने द्वारा नियुक्त समितियों के कार्यों के संचालन के लिए इस अधिनियम, परिनियम व अध्यादेशों से संगत विनियमों को बना सकते है जो इस अधिनिमय या परिनियम और अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट

30-(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात जैसा कार्य परिषद द्वारा विहित किया जाये, कोर्ट को प्रस्तुत किया जायेगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी;

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31-(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात अनुभवी और योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा कराई जाएगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद की टिप्पणियों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गयी किन्हीं टिप्पणियों को कोर्ट और कार्य परिषद के संज्ञान में लाया जायेगा और ऐसी सभी टिप्पणियों को कार्य परिषद को कार्य परिषद द्वारा पुर्नविचार के पश्चात कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

32-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा। — कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कार्यपरिषद को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात अपने निदेश के दिनांक से तीन मास के भीतर विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जायेगा।

33-(1) किसी परीक्षा के लिये कोई छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद या कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रतिलिपि की प्राप्ति के दिनांक के 10 दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो, यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकता है। — अपील करने का अधिकार

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

34-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा उचित समझे, ऐसी भविष्यनिधि या ऐसी पेंशन योजना की व्यवस्था या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्यपरिषद द्वारा विनिश्चित किया जाए; — कर्मचारी भविष्यनिधि एवं पेंशन

35-यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामलों को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा। — विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

36-जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें, होंगे। — समितियों का गठन

37-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए है नियुक्त, नामित या सहयोजित किया था, यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे शेष पदावधि के लिये ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए वह नियुक्त या सहयोजित किया गया हो। — रिक्तियों का भरा जाना।

38-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। — कार्यवाही की अविधिमान्यता

39-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन सूचना, कार्यवाही संकल्प की प्रतिलिपि को जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन सूचना, आदेश, कार्यवाही, या संकल्प को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा। ऐसे अभिलेख की किसी प्रतिलिपि या निर्गत पंजी में किसी प्रविष्टि की विद्यमानता को मामले में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा। — विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथा शीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41-(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से निवेश करने की शक्ति होंगी जैसी वित्त समिति के सुझाव पर कार्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाए।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपरोक्त उपधारा (1) विनादष्ट न्यूनतम धनराशि से आधक कोइ धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42-विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात:-

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी शुल्क व प्रभार;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई समस्त धनराशि;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी उपहार अनुदान, अंशदान, धर्मदान, उत्तरदान; अन्तरण राशि या कोई भी अन्य रीति सम्मत धन;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का एकमात्र उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए ही किया जायेगा।

विकास निधि

43-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात्:-

(क) विकास शुल्क जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोतो से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) सोसायटी द्वारा विश्वविद्यालय के विकास हेतु किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो; विश्वविद्यालय विकास हेतु इस निमित्त किये गए सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का एकमात्र उपयोग विश्वावद्यालय के विकास के लिये ही किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44-खण्ड 41, 42 और 43 के अधीन स्थापित निधियों का कोष के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जाये जैसी वित्त समिति की सलाह पर कार्य परिषद द्वारा विहित किया जाए।

वित्तीय शर्तें

45-विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायता अनुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नही होगा।

शुल्क

46-विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।

सूचना और अभिलेखों को मंगाने की राज्य सरकार की शक्ति

47-(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेखों को प्रस्तुत करें, जैसी राज्य सरकार द्वारा मांगी जाए।

(2) राज्य सरकार, यदि यह समझती है कि इस अधिनियम के प्रावधान अथवा परिनियमों अथवा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है, तो वह विश्वविद्यालय को धारा 51 के अधीन ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48-(1) यदि विश्वविद्यालय, अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी रीति से व्यवस्था करेगी, जैसी विहित की जाए।

विघटन की अवधि में विश्वविद्यालय का व्यय

49-(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का व्ययन करके किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50-(1) जहाँ विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, तो वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाए।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जाँच करने का आदेश देगी जैसी वह आवश्यक समझें।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जाँच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन या उनके अधीन जारी किन्हीं निदेशों के उल्लंघन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी।

(4) जहाँ राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जाँच के प्रयोजन के लिये कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह अधिसूचना द्वारा यथास्थित कोर्ट या कार्यपरिषद को निलम्बित करने का आदेश दे सकती है और जाँच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जाँच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात:-

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, और

(ङ) कोई अन्य मामला जो उसके द्वारा विहित किया जाए।

(6) यदि, जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसमें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमति से अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लेने की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी, यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निदेश देने की शक्ति

51-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो जैसा वह आवश्यक समझे और, ऐसे निदेशों का अनुपालन विश्वविद्यालय के लिए आज्ञापक होगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

52-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें प्रभावी होंगे:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उस उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है, विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि मोनाड एजूकेशनल सोसायटी, शंकर विहार, दिल्ली, जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोनाड विश्वविद्यालय, के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय, जिससे कि शिक्षा का अभिनवीकरण, पाठ्यक्रमों की समुचित संरचना, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधा प्रदान की जा सके।

तदनुसार मोनाड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
के0 के0 शर्मा
प्रमुख सचिव।

No. 1109 (2)/LXXIX-V-1-10-1-(Ka)19-2010
Dated Lucknow, October 12, 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Monad Vishwavidyalaya Uttar Pradesh Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 09, 2010 :-

THE MONAD UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2010,

U.P ACT NO. 23 of 2010

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to establish and incorporate a teaching University at Ghaziabad in Uttar Pradesh sponsored by Monad Educational Society, New Delhi and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty- first Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Monad University, Uttar Pradesh, Act, 2010. Short title

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Academic Council" means the academic Council of the University;

(b) "Board" means the Board of Studies or the Planning Board, or any other Board of the University;

(c) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice Chancellor" means respectively the Chancellor, the Vice Chancellor and the Pro-Vice Chancellor of the University :

(d) "Court" means the Court of the University;

(e) "Director/Principal" means the Head of an Institution, a College, School, Polytechnic and Industrial Training Institute or the person appointed for the purpose to act as such in his/her absence;

(f) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies and Research;

(g) "Employee" means any person appointed by the University and includes a teacher or any other member of the staff of the University.

(h) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(i) "Faculty" means a Faculty of the University;

(j) "Hostel" means Scholar/Students Hostel of the University;

(k) "Institution" means an Academic Institution established or maintained by the University;

(l) "Prescribed" means prescribed by Statutes;

(m) "Records and Publications" means the Records and Publications of the University ;

(n) "Society" means Monad Edufaiional Society, New Delhi registered under the Society Registration Act, 1860;

(o) "Statutes" and "Ordinances" means respectively, the Statutes and Ordinance of the University that are in force from time to time;

(p) "Student" means a student enrolled in the University;

(q) "Teacher of the University" means Professors, Associate Professors, Readers, Assistant Professors, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting education/instruction or conducting research in the University and are designated as Teachers by the Ordinances;

(r) "Treasurer", "Registrar", "Deputy Registrar", "Finance Officer", "Controller of Examinations", "Librarian", or "Proctor" means respectively the Treasurer, the Registrar, the Deputy Registrar, the Finance Officers, the Controller of Examinations, the Librarian or the Proctor on the University;

(s) "University" means the Monad University, Ghaziabad established under this Act by the Monad Educational Society;

(t) "Visitor" means the Visitor of the University;

Establishment of the University

3. (1) There shall be established at Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh a University by the society in the name of the Monad University, Uttar Pradesh.

(2) The University shall be a body corporate.

4. The sponsoring body, the Society, shall for the purpose of establishing the University under this Act, fulfill the following conditions, namely: Conditions for the establishment of the University

(a) duly possesses a minimum of 50 acres of contiguous land earmarked for the University;

(b) construct on the land referred to in clause (a) buildings of at least 24000 squire metre carpet area, out of which a minimum of 50 per cent shall be for academic and administrative purpose;

(c) install in the offices and laboratories within the buildings referred in sub-clause (b) hereinabove, equipment valued at a minimum of Rs. 5 Crore;

(d) appoint teachers and establish infrastructure as per norms and standards laid down by the University Grants Commission in the Department/Schools of the University for the purpose of teaching and/or research in at least seven subjects;

(e) make the Statues and the Ordinances for the administration and functioning of the University; and

(f) carry out such other conditions as may be required by the State Government to be fulfilled before the establishment of the University.

5. (1) The University shall start operation only after the State Government issues to the Society a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University. Starting of the University

(2) The State Government shall issue the letter of authorization after reciept of an unambiguous affidavit alongwith documents from the Society to the effect that all conditions referred to in section 4 have been fulfilled.

6. The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge and skill by providing instructional research and extension of facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavor to provide to the students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of: Objects of the University

(a) innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching training and learning including on-line learning, blended learning continuing education and such other modes and integrated and wholesome development of their personality;

(b) studies in various disciplines;

(c) inter-disciplinary Studies; and;

(d) national integration, secularism, social equity, and engineering of international understanding and ethics.

7. The University shall have the following powers, namely: Powers of the University

(a) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time determine and to make provisions for the conduct of research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;

(b) to impart and promote the study of Science, Technology, Medicine, Dentistry, Management, Law and other professional courses and also History, Culture, Philosophy, Art, etc. at its main campus and time constituent centers and also by conducting, both globally and nationally, distance/education programmes in various discipline;

(c) to honour educational stalwarts and persons of academic eminence with the decoration of Professor Emeritus;

(d) to confer on any person, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates or degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, or any other method of testing or evaluation and to withdraw any such diplomas or certificates or degree or other academic distinctions that may be conferred for good and sufficient cause;

(e) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner as may be prescribed;

(f) to provide education and training including correspondence and such other courses, to such persons who are not members of the University;

(g) to institute Directorships, Principalships, Professorships, Associate Professorships, Readerships, Assistant Professorships, Lectureships and other teaching or academic posts as may be required by the University, and to make appointments for the same;

(h) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointment thereto;

(i) to appoint / engage persons of eminence working in any other University or Organization, having specific knowledge, permanently or for a specified period.

(j) to co-operate, collaborate or associate with any other University or Authority or Institution, within and outside the country, in such manner and for such purpose as the University may determine;

(k) to establish and maintain School, Institutions, Academic Centers, Departments, Specialized laboratories or other units for research and instructions as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(l) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) to establish, maintain and supervise hostel for the residence of students and to lay down conditions for the residence of the students and the levying of fees for the residing in such hostels;

(n) to make provisions for research and consultancy and for that purpose to enter into arrangement with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(o) to lay down policy for regulating the discipline of students of the University and for promotion of their health, general welfare and cultural and corporate life.

(p) to determine standards for admission into the University, which may be through examination, or any other method of evaluation or testing;

(q) to demand and receive payment of fee and other charges;

(r) to make special arrangements in respect of women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;

(s) to regulate and enforce discipline amongst the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University;

(t) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;

(u) to receive donations and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, for the welfare of the University with prior approval of the Society;

(v) to borrow money for purposes of the University, with or without the hypothecation or the mortgaging of the property of University, subject to prior approval of the Society;

(w) to appoint, either on contract or otherwise, Visiting Professors, Emeritus' Professors, Consultants, Fellows, Scholars, Artists, Course Writers, and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University; and

(x) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conductive to the attainment of all or any of the objects of the University.

Admission and Standards

8. (1) Admission to the different academic programmes shall be made in accordance with the laws for the time being in force.

(2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and other statuary bodies as the case may be.

(3) The teacher-student ratio shall be in accordance with the guidelines of the University Grants Commission and specific council.

University open to all classes and creeds

9. The University shall be open to persons of either sex, and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief, profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer or a teacher or a staff member or student, or to hold any office therein or to graduate thereat:

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for the students belonging to the Scheduled Casts, Scheduled tribes and other backward classes of citizens shall be regulated by the order of the State Government issued from time to time.

Officers of the University

10. The following shall be the Officers of the University:

(a) The Chancellor;

(b) The Vice Chancellor;

(c) The Pro-Vice Chancellor;

(d) Director/Principal or Head of Institutions;

(e) The Registrar;

(f) The Treasurer;

(g) The Deans of School of Study/ functional Dean;

(h) The Proctor;

(i) The Finance Officer; and

(j) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

The Chancellor

11. (1) The Chancellor shall be a person of eminence and shall be appointed by the Committee of Management of the Society in such manner as may be prescribed for a period of three Years;

(2) The Chancellor shall, by virtue of his/her office, be the Head of the University and shall constitute the interim Executive Council.

(3) The Chancellor shall, if present, preside at the Convocation of the University held conferring of degrees.

The Vice-Chancellor

12. (1) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The Vice Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairperson of the Executive Council and the Academic Council of the University, and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decision of the authorities of the University.

(3) The Vice Chancellor may, if he/she is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this act and shall convey to such authority the action taken by him/her on such matters:

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that if the authority of the University or any person in the service of the University who is aggrieved by any action taken by the Vice Chancellor under, this sub-section may prefer an appeal to the Chancellor within one month from the date on which a decision on such action is communicated to him/her. The Chancellor may confirm, modify or reveres the action taken by the Vice Chancellor.

(4) The Vice Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

The Pro-Vice Chancellor

13. (1) The Pro-Vice Chancellor shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors of the University in such manner as may be prescribed and shall exercise such powers and perform such functions as may be assigned to him by the Vice Chancellor or the Executive Council of the University.

(2) The Pro-Vice Chancellor shall discharge his/her duties in addition to his/her duties as a Professor of the University.

(3) The Pro-Vice Chancellor shall assist the Vice Chancellor in discharging the day to day duties of the Vice Chancellor as and when required by the Vice Chancellor.

(4) The Pro-Vice Chancellor shall get an honorarium of such amount as may be determined by the society.

Director Principal or Head of the Institution

14. The Director or Principal or Head of institution shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

The Registrar

15. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall excise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.

(3) The Registrar shall be *ex-officio* Secretary of the Executive Council and the Academic Council.

The Treasurer

16. The Treasurer shall be appointed in such manner and on such terms and conditions and shall exercise such powers and perform such functions may be prescribed.

Deans of School of Study/ Functional Deans

17. Every Dean including the dean of School of study/ functional Dean of Student Welfare of Academic affairs or admissions of Planning and External Programmes or Industrial Liaison shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Finance Officer

18. (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Finance Officer shall be the *ex-Officio* Secretary of Finance Committee.

Other Officers

19. The manner of appointment and powers and duties of the Proctor and other officers of the University shall be such as may be prescribed.

Authorities of the University

20. The following shall be the authorities of the University:

(a) The Court;

(b) The Executive Council

(c) The Academic Council

(d) The Finance Committee;

(e) The Planning Board;

(f) The Boards of the School of Study;

(g) The Admissions Committee;

(h) The Examination Committee;

(i) The Employee Disciplinary Committee; and

(j) Such other authorities as may be declared by the Statutes to the

The Court

(b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and the Annual Accounts of the University and the Audit Report thereto;

(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and

(d) to perform such other functions as may be prescribed.

The Executive Council

22. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

(2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.

The Academic Council

23. (1) The Academic Council shall be principal academic body of the University and shall subject to the provisions of this Act and the Statutes and the Ordinances framed thereunder, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University;

(2) The constitution of the academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

The Finance Committee

24. The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to Committee take care of the financial matters;.

(2) The constitution, powers and functions of the Finance committee shall be such as may be prescribed.

The Planning Board

25. The Planning Board shall be the principal planning body of the University and shall be responsible to 'ensure that the infrastructure and the academic support system of the University meets the norms of the University Grants Commission or the respective Councils;

(2) The constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed

Boards of Schools of Study and other authorities of the University

26. The constitution, powers and functions of the Boards of the School of Study, the Admissions Committee, the Examination Committee and such other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

Power to make Statutes

27. (1) The Executive Council shall be responsible to make the Statutes for carrying out the purposes of this Act..

(2) Subject to the provisions of this Act, the Statues may provide for all or any of the following matters, namely:

(a) The constitution, powers and functions of the authorities of the University as may be constituted from time to time;

(b) The appointment and the continuance in office of the members of the said authorities, the filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide.

(c) The appointment, powers and duties of the Officers of the University and their emoluments;

(d) The appointment, of teachers of the University and other academic and administrative staff and their emiluments;

(e) The appointment of teachers and other academic and Administrative staff working in the University or Institution for a specific period for undertaking a joint project;

(f) The conditions of service of employees including provisions for retirements benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary action;

(g) The principles governing seniority of service of employees;

(h) The procedure for settlement of disputes between employees or students and the University:

(i) The procedure for preferring an appeal to the Executive Council by any employee or student against an action of any Officer or Authority of the University;

(j) The conferment of honorary degrees;

(k) The withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions that may have been conferred by the University:

(l) The institution of fellowship, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) The maintenance of discipline among the students:

(n) The establishment and abolition of Departments, Centers and other constituted Institutions/Colleges; etc.;

(o) The delegations of powers vested in the authorities or officers of the University; and

(p) Any other matters which may by this Act is to be or may be prescribed by the Statutes.

(3) The Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority ofthe University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(4)Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the Chancellor may direct the University to make provisions in the Statutes, in respect of any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes accordingly as he may deem fit.

Power to make Ordinances

28. Subject to the provision of this Act and the Statues the Ordinances shall be made by the Executive Council with the prior approval of the Chancellor, after express approval of the Management Committee and may provide for all or any of the following matters, namely:

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instruction and examination;

(d) the award of degree, diploma, certificate and other academic distinctions the qualification for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining for the same;

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;

(f) the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of the students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the University;

(j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;

(k) the establishment of Center of Studies, Interdisciplinary Centres of Study; Special Centers and Specialized Laboratories;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations;

(m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic mileage of the University:

(n) the remuneration to be paid to examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are no prescribed by the Statues.

Regulations

29. The authorities of the University may, subject to the approval of the Executive Council, after express approval of the Management Committee, make regulations, consistent with this Act, the Statues and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the Committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act or the Statutes and the ordinances famed thereunder.

Annual Reports

30. The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive council and shall be submitted to the Court on or before such date as may be prescribed by the Executive Council and the Court shall consider the report in its annual meeting.

(2) The Court shall submit the annual report to the chancellor along with its comments, if any.

Annual Accounts

31. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive council and shall, at least once every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by a reputed and experienced and qualified firm of Chartered Accountants.

(2) A copy of the annual accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Court and to the Chancellor along with the observation of the Executive Council.

(3) Any observations made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and the Executive Council and all such observations shall after being reviewed by the Executive Council, be submitted to be Chancellor.

Conditions of Service of employees

32. Every employee of the University shall be appointed/engaged as per provisions of the statues.

(2) Any dispute arising between the University and any of its employee appointed substantively, shall be referred to the Executive Council which shall decide the dispute after affording an opportunity to the employee within three months fromthe date of its reference.

(3) An aggrieved employee may file an appeal against the order of the Executive Council to the Chancellor.

(4) Any dispute in respect of any employee engaged either temporarily or on ad-hoc or part time or casual basis shall be heard and decided by the head of the concerned department.

(5) Any person aggrieved by the order of the Vice-Chancellor may prefer an appeal to the Chancellor. The decision of the Chancellor in such an appeal shall be final and binding and no suit shall lie in any court in respect of matter decided by the Chancellor.

Right to appeal

33. (1) Any student or candidate for any examination of the University, whose name has been removed from the rolls of the University by an order or resolution of the Academic Council or the Proctorial Board or the Controller of examinations, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such an order or a copy of such resolution by him/her appeal in writing, to the Vice Chancellor who may confirm, modify or reverse the decision of the aforesaid authorities or the concerned committee as the case may be.

(2) Any decision taken by the Vice Chancellor shall be final.

Employees Provident Fund and Pension

34. The University shall constitute for the benefit of its employees such Provident Fund or provide such pension scheme or such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be decided by the Executive Council.

Disputes as to the constitution of Authorities and bodies of the University

35. If any question arises' as to whether any person has been duly nominated or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Continuation of Committee

36. Where any authority of the University is given power under this Act or the Statues to appoint Committees, such Committees shall save as otherwise provided, consist of the members of the Authority concerned and of such other persons as the Authority may deem fit.

Filling Vacancies

37. All vacancies among the members (other than ex-officio) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient by the person or the body that appointed, nominated or co-opted the concerned member and the member so appointed or co-opted shall continue for the remaining term of the member against whose vacancy he/she has been appointed or co-opted.

Invalidity of Proceedings

38. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Mode of Proof of University Record

39. A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any Authority or Committee of the University or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be considered as prima-facie proof of issue of such receipt, application, notice, order, proceeding or resolution. A copy of such documents or the existence of an entry in the dispatch register shall be admitted as evidence in the matter.

Publication of Statues and Ordinances

40. (1) Every Statute and Ordinance made under his Act shall be made available in writing.

(2) Each new Statute or Ordinance made under this Act shall be enforced as soon as it is made by the competent authority.

Permanent Endowment

41. (1) The University shall establish a permanent endowment fund of at least rupees ten crore.

(2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be decided by the Executive Council on the advice of the Finance Committee.

(3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.

(4) Any amount exceeding the minimum sum specified in sub-section (1) may be withdrawn from the 'permanent endowment fund by the University for the purpose of development of the University.

General Fund

42. (1) The University shall establish a general fund to which shall be credited-.

(a) all fees and other charges received by the University;

(b) all sums received from any other source;

(c) all contributions made by the Society; and

(d) all contributions made in this behalf by any person or body by way of gift, grant, donations, benefactions, bequests, transfers or any other manner which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The money credited to the general fund shall be exclusively used to meet the recurring expenditures of the University.

Development Fund

43. (1) The University shall establish a development fund to which the following money shall be credited:

(a) Development fees, which may be charged from students;

(b) All sums received from other~ sources for the purpose of the development of the University;

(c) All contributions made by the Society for development of the University;

(d) All contributions made for purposes for development of the University by any person or body in any manner which is not prohibited by any low for the time being in force; and

(e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) The money's credited to the development fund, from time to time, shall be utilized exclusively for the development of the University.

Maintenance of Funds

44. The funds established under sections 41, 42 and 43 shall, subject to the general supervisions and control of the Court, be regulated and maintained is such manner as may be prescribed by the Executive Council on the advice of the Finance Committee.

Financial Conditions

45. The University shall' not be eligible for any grant-in-aid or any financial assistance from the State Government or any other body or Corporation owned or controlled by the State Government.

Fees

46. The fees charged for different academic programmes shall be in accordance with laws for the time being in force.

Power of the State Government to call for information and records

47. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University finances and other affairs of the University as the State Government may call for.

(2) The State Government, if it is of the view that there has been violation of any provision of this Act or the Statutes or Ordinances made thereunder may issue such directions to the University under section 51 as it may deem necessary.

Dissolution of the University

48. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government.

(2) On receipt of the notice referred to in sub-section (]) the State Government shall make such arrangements for the administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular Courses of studies of the University complete their courses of studies that have been admitted to in such manner as may be prescribed.

Expenditure of the University during the period of dissolution

49. (1) The expenditure for administration of the University during the period of taking over the liabilities of the University under section 48 shall met out of the permanent endowment fund; the general fund and the development fund.

(2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over of the liabilities of the University, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University by the State Government.

De-recognition of the University.

50. (1) Where the State Government is satisfied that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Act on receipt of a complaint with respect to the management of the University, it shall require the University to show cause within such time, which shall not be less than two months as to why the University should not be derecognized.

(2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (]) the State Government is satisfied that a prima-facie case of mismanagement or violation of the provisions of this Act and the Statutes and the Ordinances framed thereunder is made out, it shall order such enquiry as it deems necessary.

(3) For the purpose of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquire into and report upon the allegations of mismanagement or violation of the provisions of this Act or the Statutes or Ordinances framed thereunder or any direction issued thereunder.

(4) Where the State Government considel it necessary or expedient to suspend the Court for the purposes of an inquiry with respect to the affairs of the University, it may, by notification, order the suspension of the Court or, the Executive Council as the case may be, and make such arrangement for the administration of the University as it considers necessary till the conclusion of the inquiry.

(5) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall, while performing its functions under this Act, have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:

(a) Summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him/her on oath;

(b) Requiring the discovery and production of any document;

(c) Requisitioning any public reco~d or copy thereof from any office;

(d) Receiving evidence on affidavit; and

(e) Any other matter which may be prescribed by it.

(6) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied. that the University has been mismanaged or has violated any provisions of this Act, or the Statutes or the Ordinance framed thereunder it may, by notification, de-recognized the University with the prior approval of the University Grants Commission.

(7) During the period of de-recognition of the University under sub-section (6), the State Government may utilize the permanent endowment fund or the general fund or the development fund for the purposes of the management of the affairs of the University. If the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the State Government may dispose of the assets or the properties of the University to meet the said expenses.

(8) Every notification under sub-section(6) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Power of the State Government to issue directions on policy matters

51. The State Government may issue such directions, from time to time, to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary, and it shall be mandatory for the University to comply with directions so issued.

Power to remove difficulties

52. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties, State University Act, 1973 to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to *in* that sub-section existed or was required to be removed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to encouraging private sector to participate in the field of higher education, it has been decided to establish and incorporate a teaching University at Ghaziabad in Uttar Pradesh by the name of Monad University sponsored by Monad Educational Society, Shanker Vihar, Delhi registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860), so as to provide to the students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of innovations leading to proper structuring of courses, new methods of teaching and learning and integral development of personality.

The Monad University Uttar Pradesh Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order,
K.K. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 642 राजपत्र (हि०) 2010 (1319) 597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी० ए० पी० 105 सा० विधायी 2010 (1320) 850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।